



कार्यालय : वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

वन भवन - 1, हजारीबाग 825301 (झारखण्ड)
Ph. & Fax (O) - 06546 -222393, Cell No. : 8987790202 E-mail: cf.hazaribagh@gmail.com

पत्रांक 13E-5(1)/2017 :- 2199

दिनांक :- 12/8/17

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।

विषय :- गिरिडीह जिला अन्तर्गत मौजा- बड़की सरिया, टोला मन्धनियाँ में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपका ज्ञापांक 1809 दिनांक 05.07.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल ने अपने पत्रांक 3188 दिनांक 04.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 2331 दिनांक 01.06.2017 द्वारा प्रदत्त सैद्धांतिक सहमति में लगाए गए 12 (बारह) शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन सात प्रतियों में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की छः प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक-यथोक्त

विश्वासभाजन

12/8/17

वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग

कार्यालय – क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग।
वन भवन, हजारीबाग,

फोन नं0. 06546-223962, Email- rccf_hzb@yahoo.co.in, rccfhaz@jharkhandmail.gov.in

पत्रांक :

2216

दिनांक : 14-08-2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

—सह—

कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, रांची।

विषय :

गिरिडीह जिला अन्तर्गत मौजा-बड़की सरिया, टोला-मन्धनियां में 132/33 के0वी0 ग्रिड सा-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :

झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 2331 दिनांक 01.06.2017 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, रांची के ज्ञापांक 2677 दिनांक 19.06.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के सन्दर्भ में वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, हजारीबाग का पत्रांक 2199 दिनांक 12.08.2017 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा विषयगत परियोजना में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्रांक 2331 दिनांक 01.06.2017 द्वारा प्रदत्त सैद्धान्तिक सहमति में लगाए गए 12 (बारह) शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन छः प्रतियों में इस कार्यालय में समर्पित किया गया है।

अतः प्राप्त अनुपालन प्रतिवेदन की पांच प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनु:- यथोक्त।

आपका विश्वासी

Sangam
क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
हजारीबाग।



78

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

पत्रांक:- 887

दिनांक:- 25/9/17

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विशय : गिरीडीह जिलान्तर्गत मौजा बड़की सरिया टोला-मन्धनिया में 32/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग : वन विभागीय पत्रांक 2331 दिनांक 01.06.2017

महाशय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा विषयगत परियोजना हेतु कुल 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन हेतु 12 शर्तों पर स्टेज-I की स्वीकृति प्रदान की गई है। विभाग द्वारा प्रदत्त स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 2216 दिनांक 14.08.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्राप्त है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के प्रतिवेदनानुसार स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन बिन्दुवार निम्नवत् है :-

क्र०सं०	शर्तें	अनुपालन
(क)	वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न (Annexure-A)
(ख)	प्रयोक्ता अभिकरण से माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा सिविल याचिका संख्या-WP(C)202/1995 में दिनांक 28.03.2008 को पारित आदेश के अनुरूप अपयोजित होनेवाली 4.05 हे0 वनभूमि के NPV की राशि वसूलनीय होगी।	विद्युत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, हजारीबाग द्वारा NPV की राशि रु0 2535300/- मात्र कॉरपोरेशन बैंक लोदी रोड, नई दिल्ली के झारखण्ड कैम्पा खाता SB01025212 में RTGS किया गया, (Annexure-B)
(ग)	यदि NPV के दर में कोई संशोधन होता है, तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई/अंतर राशि जमा करना बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-C)
(घ)	प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त राशि को CAMPA खाता में जमा करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-B)
(ङ.)	प्रस्तावित अपयोजन में यदि आवश्यक हुआ, तो वन प्रमंडल पदाधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त कर अधिकतम 09 वृक्षों का पातन किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-D)
(च)	भविष्य में यदि राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा कोई शर्त लगाई जाती है तो उन शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-E)
(छ)	वनभूमि पर किसी प्रकार का Labour Cmap नहीं स्थापित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-F)

(ज)	यदि गैर वनभूमि पर Labour Camp स्थापित किया जाता है तो परियोजना के कार्यरत मजदूरों को ईंधन परियोजना खर्च पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा एवं तदनुसार वितरण पंजी रखी जायेगी, जिसकी समय-समय पर वन विभाग के पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जाँच की जायेगी, ताकि आस-पा के वनों को क्षति से बचाया जा सके।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-G)
(झ)	परियोजना में कार्यरत मजदूरों/ठेकेदारों द्वारा स्थल के आस-पास के वन एवं वन्यप्राणियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी, यह प्रयोक्ता अभिकरण को सुनिश्चित करना होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-H)
(ञ)	अपयोजित होनेवाली वनभूमि का उपयोग इस परियोजना से इतर अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-I)
(द)	ग्रिड निर्माण के उपरान्त रिक्त स्थानों पर यथासंभव वृक्ष लगाना प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रमाण-पत्र संलग्न। (Annexure-J)
(ध)	उपर्युक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं होने की स्थिति में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से राज्य सरकार को सूचित करेंगे एवं संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका-1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।	किसी भी शर्त का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नहीं किये जाने पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत भारत सरकार के दिशा-निर्देश की कंडिका 1.9 के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी। संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जायगा।

इस प्रकार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्टेज-I में लगाई गई शर्तों का अनुपालन कर दिया गया है। अथवा वचनबद्धता दी गई है।

वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2017 द्वारा निर्गत दिशा-निर्देश के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। अनुपालन प्रतिवेदन की तीन प्रतियाँ भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु कुल 4.05 हे० वनभूमि अपयोजन हेतु अन्तिम स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाय।

अनु०:-यथोक्त।

अनुपालन प्रतिवेदन तीन प्रतियों में।

विश्वासभाजन

ह०/-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक ४४७

दिनांक 25/9/17

77

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची को अनुपालन प्रतिवेदन की एक प्रति के साथ/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

K.A.
25.9.12

कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:- 659

दिनांक:- 14.6.18

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार, राँची।

विषय :- गिरीडीह जिलान्तर्गत बड़की सरिया टोला-मन्धनिया में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक 887 दिनांक 25.09.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसांगिक पत्र के क्रम में सूचित करना है कि गिरीडीह जिलान्तर्गत बड़की सरिया टोला-मन्धनिया में 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन निर्माण हेतु 4.05 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव में झारखण्ड सरकार, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पत्र संख्या-वनभूमि-13/2017-2331 व0प0 दिनांक 01.06.2017 द्वारा सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई है। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन इस कार्यालय के पत्रांक 887 दिनांक 25.09.2017 द्वारा आपके कार्यालय को अग्रसारित किया गया है, जिसमें शर्त संख्या 02 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा compensatory levies को RTGS के माध्यम से कैम्पा खाता में जमा किये जाने की सूचना थी। इस कार्यालय के पत्रांक 431 दिनांक 12.04.2018 द्वारा IG, FC-cum-Member secretary Ad-hoc CAMPA को उक्त राशि को Ad-hoc CAMPA में स्वीकार करने हेतु अनुरोध किया गया था।

उल्लेखनीय है कि DIG Ad-hoc CAMPA के प्रासंगिक पत्र संख्या 1-16/2012-CAMPA दिनांक 07.05.2017 के द्वारा उक्त 132/33 के0भी0 ग्रिड सब-स्टेशन परियोजना के लिए जमा राशि 25,35,300.00 को Ad-hoc CAMPA में जमा होने के confirm किए जाने की सूचना दी है। वर्तमान में यह online portal पर paid भी दिख रहा है। (छाया प्रति संलग्न)

अनु0 यथोक्त।

विश्वासभाजन,

14.06.2018
प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड,
झारखण्ड, राँची।

Compensatory Afforestation
Constituted by the Hon'ble Supreme Court of India, by Order dated 5th May 2006 in
IA No.1337 with IA Nos.827, 1122, 1216, 1473 in
WP (Civil) No.202 of 1995 : T N Godavarman Thirumalpad Vs Union of India & Ors.

4th floor, Block No.3, CGO Complex, New Delhi – 110 003
Tel No.(011) 24368006. FAX No.(011) 24368007. E-mail : adhoc-campa-mef@nic.in

No.1-16/2012-CAMPA

Dated the 7th April, 2018.

To

Nodal Officer (CAMPA),
O/o Principal Chief Conservator of Forests, cum Executive Director
Wasteland Development board
Government of Jharkhand,
Van Bhawan, P.O. Hinoo, Doranda,
Jharkhand, Ranchi 834002.

Sub.: Diversion of 4.05 ha of forest land for construction of 132/33 KV at Saria Grid Sub-station, Forest Div
& Distt Giridith (Nonlinear Project) of Jharkhand.

Sir,

With reference to your letter No.431 [received by post on 17th April, 2018] on the subject
mentioned above, the following is confirmed as under :-

S.No	Proposal No	FP/JH/Others/20982/2016		
		Amount	UTR/DD No.	Date of Deposit
1	Type of deposit (NPV/CA/WMP/other (specify))			-
a	Compensatory Afforestation	-	-	-
b	Addl Compensatory Afforestation	-	-	-
c	Penal Compensatory Afforestation	-	-	-
d	Catchment Area Treatment	-	-	-
e	Wildlife Management Plan	-	-	-
f	Addl Charges	-	-	-
g	Net Present Value	Rs. 25,35,300 /-	SBINR52017071300056351	13.7.2017
h	Any other charges/levies	-	-	-
	Total	Rs. 25,35,300 /-		

The above mentioned the credited to SB A/c No.25212 maintained in the name of Compensatory
Afforestation Fund – Jharkhand in Corporation Bank, Lodhi Complex, New Delhi – 110 003

Yours faithfully,

Naresh Kumar
7/5/18

(Naresh Kumar)

Deputy Inspector General of Forests

Copy to:-

1. The Additional Principal Chief Conservator of Forests (Central), Regional Office, Ministry of Environment Forests and Climate Change, Bungalow No. A-2, Shyamali Colony, Ranchi-834002
2. The Assistant Inspector General of Forests (Shri Nisheeth Saxena), Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Aliganj, Jor Bagh, New Delhi – 110 003.
3. PPS to IGF, Forest Conservation Division, Ministry of Environment, Forests & Climate Change, Jor Bagh, Aliganj Road, New Delhi-110003.

Naresh Kumar
7/5/18

(Naresh Kumar)

Deputy Inspector General of Forests

					SANCHARAN NIGAM LIMITED				
	RAIL/11342/2015	RAIL113422015794	Dedicated Freight Corridor	Railway	2.2227	DFCCIL	10-11-2017	04-12-2017	  Paid
	FP/JH/RAIL/11157/2015	RAIL111572015578	Dedicated Freight Corridor	Railway	1.7936	DFCCIL	10-11-2017	27-11-2017	  REJECTED
9	FP/JH/Others/18218/2016	OTHERS182182016349	Deoghar Airport Expansion Project	Others	7.34	CIVIL AVIATION DEPARTMENT	26-9-2017	10-10-2017	  Paid
0	FP/JH/Others/20982/2016	OTHERS209822016031	132/33KV Grid Sub-station at Saria in Giridih District	Others	4.05	JHARKHAND URJA SANCHARAN NIGAM LIMITED	01-6-2017	16-8-2017	  Paid

1 2 3 4

[help](#) | [Site Map](#) | [FAQ](#) | [Contact Us](#)

Designed, developed and hosted by NIC. Data owned, updated & Maintained by MoEF.

[Online Help/Query](#)



Office of the Principal Chief Conservator of Forest-cum-Executive Director
Wasteland Development Board, Jharkhand
Van Bhawan, P.O.-Doranda, Jharkhand, Ranchi-834002
Phone No.-0651-2482231, E-mail :- ednodal@yahoo.in

Letter No. : 431

Date : 12 April, 2018

To,

The Inspector General of Forests (FC)-cum-Member Secretary,
Ad-hoc CAMPA,
Ministry of Environment, Forest & Climate Change,
4th Floor, Block No.-03, CGO Complex,
New Delhi-110003

Sub : Confirmation of deposits made in Compensatory Afforestation Fund by User
Agency without generating online challan from web portal - Clarification.

Ref. : Ad-hoc CAMPA letter No. 1-16/2012-CAMPA dated-12th March, 2018.

Sir,

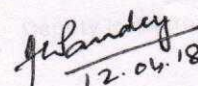
With reference to your letter quoted above on the subject, please find enclosed herewith the desired documents i.e. the Stage-I (In-principle) approval letters and Demand letters for compensatory levies raised by the DFOs concerned in respect of proposals in which the levies/ compensatory levies had been deposited in the past by the user agencies in Ad hoc CAMPA Account in Corporation Bank/ Union Bank of India through RTGS/NEFT/Bank Draft mode without generating online challan from web portal as stipulated in the guidelines.

Kindly acknowledge/ accept the deposits made by the user agencies in Ad hoc CAMPA Account without generating online challan from web portal so that the proposals could be processed further.

Enclosure :

1. In-Principle approval letters of the proposals.
2. Demand letters for compensatory levies raised by DFOs for the proposals.

Your Sincerely,


12.04.18

(A.K. Pandey)

PCCF-cum-Executive Director,
Wasteland Development Board,
Jharkhand, Ranchi.

